## Order Sheet [Contd] Case No 20/16 B.A. Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
2-1-17	आवेदक / आरोपी मोनू उर्फ कुलवंत द्वारा श्री के0पी0राठोर अधिवक्ता । शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय से आपराधिक प्र0कं0 928/16 शासन बनाम मोनू उर्फ कुलवंत प्राप्त हुआ । अावेदक / आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लिखत है । अावेदक की ओर से पेश आवेदन में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना गोहद ने फरियादी से मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर आवेदक को गिरफतार कर जेल मिजवा दिया है । आवेदक के परिवार में वृद्ध मां के अलावा कोई नहीं है । आवेदक का अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दिण्डित नहीं है । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है वह साक्ष्य को भी प्रभावित नहीं करेगा । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है । राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । दिनांक 16—12—16 को फरियादी हुसैन खां मुसलमान निवासी ऐंचाया रोड ने अपनी नावालिग लडकी लडकी सपना मुसलमान उम्र 14 साल को मोनू सरदार उर्फ कुलवंतिसंह निवासी गोहद चौराहा के द्वारा भगा ले जाने के संबंध में आवेदन देने पर धारा 363,366(क)भा0द0सं० के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया ।	
	आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यही रहा है कि फरियादी	

ने पुलिस से मिलकर उसे प्रकरण में झूठा फसा दिया गया है जिससे उसका कोई संबंध नहीं है और उक्त अपराध में वह अभिरक्षा में है । उनके अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में पीडिता के द्वारा उसके साथ आरोपी के द्वारा कोई घटना करने के संबंध में कोई बात नहीं बतायी है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । फरियादी हुसेन खां ने थाने पर लिखित आवेदन उसकी नावालिग लडकी को आरोपी मोनू सरदार उर्फ कुलबन्तिसंह के द्वारा बहला फुसलाकर विवाह करने हेतु भगा ले जाने के संबंध में लिखित रिपोर्ट की है । विद्यालय अभिलेख के अनुसार पीडिता की घटना के समय 15 वर्ष की उम्र है ।

विचारोपरान्त आवेदक पर लगाये गये आक्षेप जो कि नावालिंग पीडिता को उसके द्वारा उसकी विधि पूर्ण संरक्षता से हटाया गया जो कि उसे विवाह करने के लिये विवश और विलुब्ध करने के आशय से अपने साथ ले जाना बतायाग या । आवेदक पर लगाये गये आक्षेप एवं घटना के तथ्यों परिस्थितियों में आवेदक जमानत की पात्रता नहीं रखता । अतः उसकी ओर

से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है |

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस हो ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद